

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**ORDER**

New Delhi, the 29th March, 2019

**No. 04/2019-Central Tax**

**THE CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER, 2019**

**S.O. 1492(E).**—Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the “said Act”) provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies;

And whereas sub-section (3) of section 17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section 17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 172 of the said Act, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

**1. Short title.**—This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of paragraph 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.

3. This Order shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2019.

[F. No. 354/32/2019-TRU]

PRAMOD KUMAR, Dy. Secy.

**आदेश**

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

**सं. 03/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर**

**संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2019**

**का.आ. 1493(अ).**—जबकि, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात् जिसे “उक्त अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (v) में प्रावधान है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इतने इनपुट टैक्स तक सीमित रहेगा, जो करधान आपूर्ति के कारण होता है;

और जहाँ कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के खंड (v) में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के उद्देश्य के लिए मूल्य वही होगा जो कि नियमों के द्वारा निर्धारित किया जायेगा;

अतः, अब, संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

**1. लघु शीर्षक**—यह आदेश संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर (कठिनाइयों का तीसरा निराकरण) आदेश, 2019 कहलाएगा।

2. कठिनाइयों के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैराग्राफ 5 के उपवाक्य (ख) के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की आपूर्ति के मामले में, जिनपर कर लगता हो, जिनमें कि जीरो रेटेड आपूर्तियाँ और छूट प्राप्त आपूर्तियाँ भी आती हैं, से संबंधित क्रेडिट राशि का निर्धारण उस कॉम्प्लेक्स, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर के या उसके हिस्से के निर्माण के क्षेत्रफल पर आधारित होगा जो कि कर योग्य है और छूट प्राप्त है।

3. यह आदेश 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होगा।

[फा. सं. 354/32/2019-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, उप सचिव